

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 5 / 16

संस्थित दिनांक- 13.01.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार उम्र 23 साल
2. श्यामलाल पुत्र पल्लूराम अहिरवार उम्र 51 साल
3. मुन्नी बाई पत्नी श्यामलाल अहिरवार उम्र 46 साल
निवासी ग्राम भीलरी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498“ए” के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 25.05.14 से लगातार 06.01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान में फरियादी शशिबाई का पति अथवा पति के नाते दार होते हुये, फरियादी से नगदी रुपये व मूल्यावान संपत्ति की मांग करते हुये उसे प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि शशिबाई की शादी फरवरी 2014 को हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार अभियुक्त लालाराम निवासी चंदेरी के साथ हुई थी। शादी के करीब तीन माह तक फरियादियां पति व सास-ससुर ने अच्छे से रखा। उसके बाद फरियादिया के साथ दहेज को लेकर परेशान करने लगे। फरियादियां के पति लालाराम ने कहा कि अपने मायके से एक लाख और मोटरसाइकिल मंगा ले। फरियादियां यह बात अपने मम्मी कुंवरबाई व पापा प्रकाश को बतायी तो उन्होंने फरियादियां को समझाया। इसके बाद फरियादियां के पति उसके साथ मारपीट करने लगे। यह बात फरियादिया ने अपनी सास और मुन्नी बाई व सुसर श्यामलाल को बतायी, तो दोनों ने फरियादिया के पति को समझाने के बजाय कहने लगा कि मोटरसाइकिल मां-बाप से मंगा ले और फरियादिया के साथ मारपीट करने लगा और भगा दिया। उसके बाद फरियादिया शशि बाई ने परिवार परामर्श केंद्र अशोकनगर में जाकर दरखास दी एवं फरियादियां के रिश्तेदारों को पति और सास और ससुर को समझाने के लिये कहा। उसके बाद भी अभियुक्तगण नही मानने तो फरियादी द्वारा थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध

कार्यवाही किये जाने बाबत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० १ लेखबद्ध करायी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-11/16 अंतर्गत धारा 498“ए” भा०द०वि० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द०प्र०सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि प्रकरण के विचारण के दौरान दिनांक 13.06.17 को फरियादी शशि बाई के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द०प्र०सं० का प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की धारा 498ए शमनीय प्रकृति की न होने के कारण प्रस्तुत आवेदनों को निरस्त कर उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण का विचारण जारी रहा।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.05.14 से लगातार 06.01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान फरियादी शशिबाई का पति अथवा पति के नाते दार होते हुये, फरियादी से नगदी रुपये व मूल्यावान संपत्ति की मांग करते हुये उसे प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06- प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये प्रकरण फरियादी शशि बाई (अ०सा०-1) सहित उसकी मां कुवर बाई (अ०सा०-2) एवं पिता प्रकाश (अ०सा०-3) व के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी शशि बाई (अ०सा०-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि उसकी अभियुक्त लालाराम से शादी उसकी शादी 23 फरवरी 2014 हुई थी। इस साक्षी के अनुसार वह अपने पति के साथ ससुराल में तीन चार माह रही थी तथा शादी के बाद से ही उसकी लालाराम से नही बनी ओर घरेलू बातों को लेकर विवाद होता रहता था। साक्षी का कहना है कि एक दिन विवाद ज्यादा बढ़ने से वह अपने मायके आ गई थी तथा ससुराल से जब कोई लेने नही आया तो उसके पिता ने थाने पर शिकायत की थी, जिसके बाद उसे थाने पर बुलाया गया जहां उसने प्र०पी १ की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे। फरियादी का कहना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है उसे इसकी जानकारी नही है, उसने अपने पिता के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

- 07- प्रकाश (अ0सा0-3) तथा कुंवर बाई (अ0सा0-2) जो कि फरियादी के माता पिता हैं, ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि उनकी लडकी शशि बाई (अ0सा0-1) व दामाद लालाराम घरेलू बातों पर झगडते थे, जिसके बाद शशि मायके में आकर रहने लगी और जब उनकी लडकी को कोई लेने नहीं आया, तो इसकी शिकायत थाने पर की गयी थी। फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) व कुंवर बाई (अ0सा0-2) जहां थाने पर शिकायत प्रकाश (अ0सा0-3) द्वारा किया जाना बताते हैं, वही प्रकाश (अ0सा0-3) शशि बाई (अ0सा0-1) के द्वारा थाने पर शिकायत किया जाना बताते हैं अतः थाने पर शिकायत किसके द्वारा की गयी इस संबंध में ही साक्षियों के कथनों में ही विरोधाभास हैं, परन्तु फरियादी सहित कुंवर बाई (अ0सा0-2) व प्रकाश (अ0सा0-3) का एक मत होकर यह कहना है कि फरियादी शशि बाई का उसके पति लालाराम से घरेलू बातों पर विवाद होने पर वह मायके आकर रहने लगी थी और जब उसे कोई लेने नहीं आया तो थाने पर प्र0पी0 1 की रिपोर्ट लेख करायी गयी थी।
- 08- अतः फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) सहित उसके माता पिता के कथन अनुसार फरियादी का अभियुक्त लालाराम से मात्र विवाद होता था जो कि दहेज की मांग को लेकर न होकर घरेलू बातों पर होता था और थाने पर भी दर्ज करायी गयी प्र0पी0 1 की रिपोर्ट इन साक्षियों के अनुसार दहेज की मांग को लेकर फरियादी को प्रताडित किये जाने के संबंध में नहीं की गयी बल्कि जब ससुराल पक्ष फरियादी शशि बाई को मायके से लेने नहीं आ रहा था तो इस बात की रिपोर्ट थाने पर की गयी थी। फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये कथनों का समर्थन उसके माता-पिता ने अपने न्यायालीन कथनों में किया है, परन्तु इन साक्षियों के कथन अभियोजन घटना के विपरीत हैं। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में लेख घटना फरियादी के न्यायालय में दिये गये कथनों से मेल नहीं खाती है जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से नहीं होती है।
- 09- फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) सहित प्रकाश (अ0सा0-3) व कुंवर बाई (अ0सा0-2) के द्वारा मुख्यपरीक्षण अभियोजन का समर्थन न करने के कारण एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन देने के कारण इन साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी सहित प्रकाश (अ0सा0-3) व कुंवर बाई (अ0सा0-2) ने अभियोजन घटना का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी सहित सभी साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात का स्पष्ट खण्डन किया कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद से कभी भी फरियादी को दहेज की मांग के लिये प्रताडित किया या फरियादी के साथ मारपीट की। फरियादी सहित अन्य साक्षियों का भी अपने न्यायालीन कथनों में यही कहना है कि अभियुक्त लालाराम व शशि बाई के मध्य मामूली घरेलू झगडा था।
- 10- फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) प्रकरण में मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन के अनुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध शशि बाई (अ0सा0-1) ने ही प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में की हैं, जिसके उपर से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। परन्तु फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही यह कहती है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट पर उसने अपने पिता के कहने पर हस्ताक्षर किये थे, रिपोर्ट में क्या लिखा है इसकी उसे जानकारी नहीं है। फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) अपने मुख्य

परीक्षण में अपने पति घरेलू बातों पर विवाद होना बताती है। इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसके पति लालाराम या उसके माता पिता ने उसे दहेज की मांग के लिये किसी भी प्रकार से प्रताडित किया या उसके साथ मारपीट की थी। बल्कि इसके विपरीत शशि बाई (अ0सा0-1) का कहना है कि उसके साथ सास ससुर जो कि प्रकरण में अभियुक्त हैं, से उसका कभी कोई विवाद नहीं हुआ तथा वो लोग तो उसका समर्थन करते थे।

- 11- फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विरुद्ध ऐसी किसी भी घटना के घटित होने से इन्कार करती हैं जिसमें अभियुक्तगण ने उसे दहेज के लिये उसे प्रताडित कर दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की। यहां तक फरियादिया प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में क्या लिखा है, इसकी जानकारी न होने के साथ ऐसी कोई भी घटना पुलिस को लेख कराने से इन्कार करती है। अतः ऐसे में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने शादी के बाद कभी भी फरियादी शशि बाई को दहेज के रूप में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल लाने के लिये प्रताडित किया या उसके साथ उक्त कारण से मारपीट की थी।
- 12- फरियादिया शशि बाई (अ0सा0-1) सहित प्रकाश (अ0सा0-3) व कुवंर बाई (अ0सा0-2) अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त लालाराम से शशि बाई (अ0सा0-1) का विवाद तो होना बताते हैं परन्तु इन सभी साक्षियों का कहना है कि उनके बीच घरेलू विवाद था। फरियादिया शशि बाई (अ0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में ही व्यक्त किया है कि उसके पति से उसकी शादी के बाद नहीं बनी तथा घरेलू बातों पर विवाद होने लगा था। अतः अभिलेख पर जो साक्ष्य उपलब्ध है उसके अनुसार अभियुक्त और फरियादी के मध्य पति-पत्नी के बीच होने वाले वैचारिक मतभेद एवं घरेलू विवाद थे। अब देखा ये जाना है कि वास्तव में ऐसे विवाद भा0द0वि0 की धारा 498“ए” के अपराध की श्रेणी में आते हैं अथवा नहीं।
- 13- यहां भा0दं0वि0 की धारा 498“ए” का उल्लेख किया जाना उचित होगा। धारा 498“ए” के अनुसार—
जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये, “क्रूरता ” से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

- 14- धारा 498“ए” में उल्लेखित शब्द कूरता को स्पष्ट करने के लिये उक्त धारा के स्पष्टीकरण में दो खण्ड (क) तथा (ख) का उल्लेख किया गया है अतः ऐसे में धारा 498 “ए” के अपराध के लिये यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कूरता खण्ड (क) के अधीन आती है या खण्ड (ख) के अधीन, या दोनों खण्डों की अधीन आती है। अभिलेख पर फरियादी सहित अन्य किसी भी साक्षी ने ऐसे कोई कथन नहीं दिये हैं जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ किया गया आचरण फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) को आत्महत्या करने के लिये या जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गम्भीर क्षति या खतरा उत्पन्न करता हो।
- 15- पति-पत्नी के मध्य वैचारिक मतभेद एवं मामूली घरेलू विवाद वैवाहिक जीवन का एक भाग होता है अतः ऐसे मामूली विवाद 498“ए” के स्पष्टीकरण के खण्ड क की श्रेणी में नहीं आते। जहां तक स्पष्टीकरण के खण्ड “ख” का प्रश्न है तो स्वयं फरियादी सहित अन्य साक्षियों ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने शादी के बाद शशि बाई (अ0सा0-1) से कभी भी दहेज की कोई मांग की।
- 16- अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) के साथ जानबूझकर ऐसा कोई आचरण किया जिससे फरियादी आत्महत्या करने के लिये प्रेरित हो या फरियादी के जीवन, अंग या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से गम्भीर क्षति या खतरा कारित करने की सम्भावना थी। वहीं फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन देने से अभिलेख पर इस आशय की भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अभियुक्त ने फरियादी शशि बाई (अ0सा0-1) को या उसके माता पिता को दहेज की कोई मांग पूरी करने के लिये प्रपीडित किया अथवा उक्त कारण से फरियादी को तंग किया कि फरियादी माता पिता ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।
- 17- परिणामस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण दिनांक 25.05.14 से लगातार 06.01.2016 के ग्राम भीतरी में अपने मकान में फरियादी शशिबाई का पति अथवा पति के नातेदार होते हुये, फरियादी शशिबाई से नगदी रुपये व मूल्यावान संपत्ति की मांग करते हुये उसे प्रताडित कर उसके साथ कूरता कारित की।
- 18- फलस्वरूप अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लराम अहिरवार, मुन्नी बाई पत्नि श्यामलाल के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 498 “ए” के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लराम अहिरवार, मुन्नी बाई पत्नि श्यामलाल को भा0दं0वि0 की धारा 498 “ए” के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 17- अभियुक्त लालाराम पुत्र श्यामलाल अहिरवार, श्यामलाल पुत्र पल्लाराम अहिरवार, मुन्नी बाई पत्नि श्यामलाल के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)